राजस्व प्रार्थना पत्र 65/2019
जीसीएमएसम नंबर 2019/00229
विजेन्द्रपालसिंह बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 65/2019

प्रार्थी–

1. विजेन्द्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह जाति राजपूत , निवासी– नोखा जोधा तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 25/05/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम विजेन्द्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा नोखा जोधा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 262 के खसरा नम्बर 10, 183 तथा 206/490 में विजयपालसिंह पुत्र शिवसिंह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पैन कार्ड संख्या एएटीपीआर4973जे, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/357433 , दी नागौर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता संख्या 28008105740012486 की डायरी, राशन कार्ड संख्या 008270700363 , आधार कार्ड संख्या 9061 1818 7199, प्रार्थना पत्र में सलंग्न शपथ पत्र मे प्रार्थी का सही नाम विजेन्द्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 13.05.2022 को मय हल्का आईएलआर व पटवारी नोखा जोधा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में विजयपालसिंह पुत्र शिवसिंह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के ग्राम नोखा जोधा के खाता संख्या 262 खसरा नंबर 10, 183, 206/490 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी के अन्य

25/05/2022

दस्तावेजात् यथा पैन कार्ड संख्या एएटीपीआर4973जे, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/357433 , दी नागौर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता संख्या 28008105740012486 की डायरी, राशन कार्ड संख्या 008270700363 , आधार कार्ड संख्या 9061 1818 7199, प्रार्थना पत्र में सलंग्न शपथ पत्र में नाम विजेन्द्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में विजयपालसिंह नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम विजयपालसिंह दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतविरानों ने विजयपालसिंह तथा विजेन्द्रपालसिंह दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का नोखा जोधा जायल तहसील जायल की रिपोर्ट पैन कार्ड संख्या एएटीपीआर4973जे, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/357433 , दी नागौर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता संख्या 28008105740012486 की डायरी, राशन कार्ड संख्या 008270700363 , आधार कार्ड संख्या 9061 1818 7199, प्रार्थना पत्र में सलंग्न शपथ पत्र तथा ग्राम नोखा जोधा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 262 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा नोखा जोधा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 262 के खसरा नम्बर 10, 183 तथा 206/490 में प्रार्थी का नाम विजयपालसिंह पुत्र शिवसिंह के स्थान पर विजेन्द्रपालसिंह पुत्र शिव सिंह शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा नोखा जोधा के खतौनी सं. 262 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार पैन कार्ड संख्या एएटीपीआर4973जे, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/357433 , दी नागौर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता संख्या 28008105740012486 की डायरी, राशन कार्ड संख्या 008270700363 , आधार कार्ड संख्या 9061 1818 7199, प्रार्थना पत्र में सलंग्न शपथ पत्र की फोटो प्रति में प्रार्थी विजेन्द्रपालसिंह एवं विजयपालसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह सावित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय विजेन्द्रपालसिंह के स्थान पर विजयपालसिंह दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि विजयपालसिंह एवं विजेन्द्रपालसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम नोखा जोधा के खाता संख्या 262 में दर्ज खातेदार नाम विजयपालसिंह पुत्र शिवसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम विजेन्द्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम नोखा जोधा तहसील जायल की नकल जमावंदी खाता संख्या 262 में दर्ज खातेदार नाम विजयपालसिंह पुत्र शिवसिंह के स्थान पर विजेन्द्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल